ग्राम पंचायत मजोग सुल्तानी, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 4/2013 से 3/2016

भाग–एक

1. (क) प्रस्तावना :–

ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्याः PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669, दिनांक 7.4.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हि0प्र0 को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत मजोग सुल्तानी, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया। अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे।

प्रधान :–

क्र0 सं0	नाम	अवधि
1.	श्री चन्द्र शेखर	23.1.2011 से 22.1.2006
2.	श्रीमति सरोज कुमारी	22.1.2016 से लगातार

सचिव :–

क्र0 सं0	नाम	अवधि
1.	श्रीमति बिंटो कुमारी	1.4.2013 से 2.2.2015
2.	श्री मनोहर लाल	3.2.2015 से 31.3.2016

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :–

ग्राम पंचायत मजोग सुल्तानी के लेखाओं अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है।

क्र0 सं0	पैरा सं0	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1.	5	पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष	0.12
2.	6	अनुदान का उपयोग न करना	14.08
3.	8	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	0.49
4.	9	क्रय सामग्री का ईन्द्राज भण्डार रजिस्टर में न करना	1.88

5.	11	खाता–ख (अनुदान) में जमा निधियों पर उपार्जित ब्याज खाता–क (स्वः स्त्रोत) में अन्तरित न करना	–

भाग–दो

2. वर्तमान अंकेक्षण :–

ग्राम पंचायत मजोग सुल्तानी, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री संदीप कमल, अनुभाग अधिकारी व श्री नरेन्दर कुमार, आर्टिकल सहायक द्वारा दिनांक 28.5.2016 से 1.6.2016 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्न प्रकार से किया गया।

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2013–14	3/2014	3/2014
2014–15	12/2014	11/2014
2015–16	3/2016	5/2015

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्क :–

ग्राम पंचायत मजोग सुल्तानी,, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹7200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि ₹7200 को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 शिमला–09 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 118, दिनांक 1.6.2016 द्वारा अनुरोध किया गया। अतः अंकेक्षण शुल्क की राशि को शीघ्र निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 शिमला–09 को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

4. वित्तीय स्थिति :–

ग्राम पंचायत मजोग सुल्तानी द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी।

(1) स्वः स्त्रोत :–

ग्राम पंचायत मजोग सुल्तानी के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 तक की स्वः स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14	159792	46690	206482	35123	171359
2014–15	171359	76966	248325	118222	130103
2015–16	130103	150373	280476	24043	256433

(2) अनुदान :–

ग्राम पंचायत मजोग सुल्तानी के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 तक की अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–'1"** में भी दिया गया है।

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14	1202925	3003205	4206130	2734671	1471459
2014–15	1471459	3278702	4750161	3287577.55	1462583.45
2015–16	1462583.45	1516748	2979331.45	1571356.98	1407974.47

4. 1. बैंक समाधान विवरणी :–

स्व स्त्रोतः–

दिनांक 31.3.2016 को रोकड़ वहियों में अन्तिम शेष :–	₹256433
दिनांक 31.3.2016 को बैंक खाते में शेष	₹255778
KCCB 24427:-	
हस्तगत राशि :–	₹655

अनुदान :–

दिनांक 31.3.2016 को रोकड़ वहियों में अन्तिम शेष :–	₹1407974
दिनांक 31.3.2016 को बैंक खातों में शेषः–	₹1407974

बैंक खाता संख्या	राशि
Indira aavas Yojna KCCB 27104	2135
General Fund KCCB 56607	761835
Rajeev Avas Yojna KCCB 271098	79
MNREGA KCCB 09130	163
13th FC PNB 58612	638754
SBM KCCB 7166	5008
कुल राशि	**₹1407974**

4.2 रोकड़ वही का बैंक खाते से मिलान न करना :–

ग्राम पंचायत मजोग सुल्तानी की रोकड़ वही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ वही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ वहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरूद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ वहियों को बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

5. पंचायत राजस्व ₹11550 का वसूली हेतु शेष पाया जाना :–

1) पंचायत स्वः स्त्रोतों से प्राप्त आय का सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.3.2016 तक पंचायत के राजस्व ₹11550 की वसूली शेष थी।

1. गृहकर :–

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2013–14	1000	26700	27700	26450	1250
2014–15	1250	26900	28150	23600	4550
2015–16	4550	24800	29350	27800	1550

2. दुकानों से किराया :– जांच में पाया गया कि दिनांक 31.3.2016 तक ग्राम पंचायत की तीन दुकानों का किराया ₹10000 वसूली हेतु बकाया था, लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा इसकी वसूली हेतु न तो मांग जारी की थी और न ही दुकानों के किराये के रख–रखाव हेतु कोई रिकॉर्ड तैयार किया

गया था। अतः निम्न वर्णित दुकानों के किराये की वसूली के साथ–साथ भविष्य में किराये का पूरा रख–रखाव एक रजिस्टर में रखना सुनिश्चित करें।

दुकान सं0	किरायेदार का नाम	अवधि	माह	दर प्रति माह	कुल वसूली योग्य किराया
1.	श्रीमति उषा कुमारी	1.3.15 से 31.3.16	13	200	2600
2.	श्री प्यार चन्द	1.12.13 से 31.3.16	28	200	5600
3.	श्री ज्ञान चन्द	1.7.15 से 31.3.16	9	200	1800
				कुल राशि	**₹10000**

अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली करनी सुनिश्चित की जाए।

6. अनुदान ₹14.08 लाख का उपयोग न करना :–

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **परिशिष्ट–'1"** के अनुसार दिनांक 31.3.2016 तक अनुदान ₹1407974 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यर्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

7. कार्य पूर्ण होने के 25 माह पश्चात स्वः स्त्रोतों से ₹39871 का व्यय करने का औचित्य स्पष्ट करने बारे :–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 48 के अन्तर्गत प्रारूप 13 में खर्चे से सम्बन्धित दावे प्रस्तुत करने का प्रावधान है। जांच में पाया कि कार्य नि0 नि0 जन्जघर बलला घिरथा, दिनांक 30.9.2012 को पूर्ण हो चुका था, जिसका ईन्द्राज मापपुस्तिका संख्याः 4972 के पृष्ठ 41 से 47 में दर्ज है, जबकि इस कार्य के लिए प्रयोग की गई निर्माण सामग्री, खुदाई एवं सेटरिंग कार्य हेतु ₹39871 का भुगतान आपूर्तिकर्त्ताओं को माह 11/2014 में कार्य पूर्ण होने के लगभग 25 माह पश्चात किया गया था एवं दावे भी उक्त नियम के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में ईन्द्राज नहीं किए गए थे, जिससे भुगतानों की सत्यता का पता नहीं चल सका।

वा0 सं0	बिल का विवरण	सामग्री का विवरण	राशि
38, दिनांक 6.11.14	Bill No. -, Dated -, M/s Surjeet Singh	निर्माण सामग्री	11000
39, दिनांक 6.11.14	Bill No. -, Dated -, M/s Surjeet Singh	निर्माण सामग्री	1800
40, दिनांक 6.11.14	Bill No. -, Dated -, M/s Balwant Singh	सेटरिंग	12121
41, दिनांक 6.11.14	Bill No. -, Dated -, M/s Balwant Singh	सेटरिंग	5600
44, दिनांक 11.11.14	Bill No. -, Dated -	JCB से खुदाई 11 घण्टे	9350
		कुल राशि	**₹39871**

अतः उक्त वर्णित भुगतानों के दावों को उक्त नियम के अनुसार निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत न करने, दावों को विलम्ब से प्रस्तुत करने एवं व्यय स्वः स्त्रोतों से करने के औचित्य स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए।

8. औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹0.49 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना:–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट–'2"** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹49105 के स्टॉक/स्टोर का क्रय बिना औपचारिकताओं अर्थात निविदाएं आमन्त्रित किए बिना ही किया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9. ₹1.88 लाख की क्रय सामग्री का ईन्द्राज भण्डार रजिस्टर में न करना :–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69, 70 व 71 में क्रय की गई सामग्री के भण्डार रजिस्टर में ईन्द्राज करने, जारी करने एवं भण्डारण सम्बन्धित औपचारिकताएं प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट–'3"** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹188196 की क्रय की गई सामग्री का ईन्द्राज भण्डार रजिस्टर में नहीं किया गया था, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का ईन्द्राज नियमानुसार भण्डार रजिस्टर में न

करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए समस्त क्रय की गई सामग्री का ईन्द्राज नियमानुसार भण्डार रजिस्टर में करना सुनिश्चित करें तथा अनुपालना आगामी अंकेक्षण के समय में दिखाई जाए।

10. विहित रजिस्टरों का रख–रखाव न करना :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0 सं0	रजिस्टर/अभिलेख
1.	खाता वहियां तैयार न करना
2.	अनुदान रजिस्टर
3.	भण्डार रजिस्टर
4.	यात्रा भत्ता बिल का जांच–पड़ताल रजिस्टर
5.	दुकानों के किराये का रजिस्टर
6.	रसीद बुकों का रख–रखाव भण्डार रजिस्टर में न करना

11. खाता–ख (अनुदान) में जमा निधियों पर उपार्जित ब्याज खाता–क (स्वः स्त्रोत) में अन्तरित न करना :–

हि0 प्र0 पंचायत राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 के अनुसार खाता–ख (अनुदान) में जमा निधियों पर उपार्जित ब्याज प्रति वर्ष जनवरी और जुलाई के मास में खाता–क (स्वः स्त्रोत) में अन्तरित किया जाना अपेक्षित था, लेकिन जांच में पाया कि नियमानुसार खाता–ख (अनुदान) में जमा निधियों पर उपार्जित ब्याज को खाता–क (स्वः स्त्रोत) में अन्तरित नहीं किया गया था, जोकि उक्त नियम के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः भविष्य में नियमानुसार ब्याज की राशि को खाता–क (स्वः स्त्रोत) में अन्तरित करना सुनिश्चित करें।

12. प्रत्यक्ष सत्यापन :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन

नहीं किया गया है, जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

13. **लघु आपत्ति विवरणिका :—** इसे अलग से जारी नहीं किया गया, अपितु छोटी—2 आपत्तियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया।

14. **निष्कर्ष :—** लेखों में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता / —
सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

पृष्ठांकन संख्या :फिन (एल0ए0)एच0(पंच)(xv)(vi)3 / 2016, खण्ड—1—4618—4621 दिनांकः 10.08.2016, शिमला—171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :—

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि0 प्र0, कुसुम्पटी, शिमला—09
2. जिला पंचायत अधिकारी हमीरपुर, जिला हमीरपुर हि0 प्र0
3. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड हमीरपुर, तहसील हमीरपुर, जिला हमीरपुर हि0 प्र0

पंजीकृत 4. सचिव, ग्राम पंचायत मजोग सुल्तानी, विकास खण्ड हमीरपुर, तहसील हमीरपुर, जिला हमीरपुर हि0 प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित कि जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता / —
सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.